127

न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

1. गुलाम मोहम्मद तनय शेख मोहम्मद
2. इकबाल मोहम्मद तनय शेख मोहम्मद
3. नूर मोहम्मद तनय शेख मोहम्मद
4. श्रीमति हाजरा बी विधवा शेख मोहम्मद

सभी निवासी- 13 मुहाल सदर बाजार सागर तहसील व जिला सागर

—पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. परबो बाई विधवा देवसोग यादव
2. मनोराम तनय देवसोग यादव
3. श्रीराम तनय देवसोग यादव
4. रामकली पत्नि ताराचंद्र यादव

सभी निवासी- पुराना सदर कान्वेंट स्कूल के पीछे तहसील व जिला सागर

5. कुंती पत्नि रामगोपाल यादव

निवासी- मकान नंबर 125 न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी पाथमपुरा जिला धार

6. मुन्नी बाई पत्नि रामप्रसाद यादव

निवासी- ग्वाल टोली कोरेगांव सागर तहसील व जिला सागर

7. भागवती पत्नि लीलाधर यादव

निवासी- ग्वाल टोली कोरेगांव सागर तहसील व जिला सागर

8. मालती पत्नि रम्मू यादव

निवासी- मकान नंबर 15 सदर सागर तहसील व जिला सागर

9. द्रोपदी पत्नि जमना प्रसाद यादव

निवासी- पथरिया तहसील व जिला सागर

10. शारदा पत्नि रूपराम यादव

निवासी- ग्वाल टोली होशंगाबाद

पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है ।

उक्त पुनरीक्षण श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 344 अ/6/2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 2.11.2002 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता प्रस्तुत कर रहा है ।

1. यह कि श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर ने श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के न्यायालय में पेश धारा 5 अवधि अधिनियम के आवेदन पत्र शपथपत्र एवं श्रीमान तहसीलदार सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.99 की आर्डर शीट पर ध्यान नही दिया है तथा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब खंडन में प्रस्तुत शपथपत्र पर भी कोई ध्यान नही दिया है तथा आदेश पारित करने में भूल की है । इस कारण श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तथा श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाने योग्य है ।

3. यह कि 29.11.99 के आदेश को अपील रेस्पांडेंट ने दिनांक 20.6.2001 में की है अर्थात 203 दिन बाद अपील की है । अपील पेश करने की 45 दिन की अवधि है उसे कम करने तथा दो दिन नकल प्राप्त करने में लगे कम करने से इस प्रकार 47 दिन कम करने से 156 दिन के विलंब का कोई स्पष्टीकरण नही बतलाया गया है । ना ही स्पष्ट सबूत दिये गये है । अतः अपील अत्यंत्य विलंबित है । जबकि मध्य प्रदेश वीकली नोट 1988 भाग एक नोट नंबर 149 एवं मध्य प्रदेश वीकली नोट 1987 भाग एक नोट नंबर 110 में स्पष्ट है कि धारा 5 प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नही दिया गया विलंब क्षमा नही किया जा सकता । प्रस्तुत प्रकरण में 27 दिन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2768–दो/2002 जिला सागर

गुलाम मोहम्मद विरूद्ध परबोबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–3–2019	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषकों ने अभिलेख के आधार पर प्रकरण के निराकरण का अनुरोध किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 344/अ–6/2001–02में पारित आदेश दिनांक 02–11–2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामांतरण प्रकरण की समयबाधित अपील प्रस्तुत की गई थी जिसके साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु अपील को समय–सीमा में मान्य किया गया। जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा। अपर कलेक्टर ने तकनीकी आधार पर प्रकरण में आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपील प्रकरण का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दुओं पर न किया जाकर गुण–दोषों पर किया जाना चाहिए। इसी कारण अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के अनुचित आदेश को निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को गुण–दोषों पर	

प्रकरण कमांक निगरानी 2768–दो / 2002 जिला सागर

गुलाम मोहम्मद विरूद्ध परबोबाई आदि

निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमतता प्रकट नहीं होती है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 02–11–2002 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर0के0 जैन)
सदस्य
12.03.19